

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2025/205

रीवा दिनांक : 28-03-2025

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य
जनता महाविद्यालय
जनेह, जिला रीवा (म.प्र.)

विषय – अस्थायी सम्बद्धता नवीनीकरण सत्र 2024-2025 विषयक।

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 27-12-2024 के अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण के आइटम क्रमांक 6(13) की अनुशंसा एवं माननीय कुलगुरु जी द्वारा अधिनियम की धारा 15(4) के अन्तर्गत किये गये अनुमोदन तथा परिनियम 27 के अनुसार, आपके महाविद्यालय को सत्र 2024-2025 कक्षा/विषयों में अस्थायी सम्बद्धता का नवीनीकरण किया जाता है –

क्र.	कक्षा/विषय
1	बी.ए. भाग 1,2,3 – आधार पाठ्यक्रम, इतिहास, समाजशास्त्र, हिन्दी, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र-प्रत्येक ग्रुप-120सीट।
2	बी.एससी. भाग 1,2,3 – आधार पाठ्यक्रम, रसायन, बनस्पतिविज्ञान, प्राणिविज्ञान, भौतिकी एवं गणित-प्रत्येक ग्रुप-120सीट।
3	एम.ए. पूर्वाह्न – हिन्दी-100सीट।
4	बी.ए. प्रथम, द्वितीय वर्ष – कम्प्यूटर, अंग्रेजी, संस्कृत-प्रत्येक 120सीट।
5	बी.एससी. प्रथम, द्वितीय वर्ष – कम्प्यूटर-प्रत्येक-120सीट।
6	पी.जी.डी.सी.ए.-100सीट।
7	एम.ए. पूर्वाह्न/उत्तराह्न – भूगोल, समाजशास्त्र-60-60सीट प्रत्येक में।
8	एम.एससी. पूर्वाह्न/उत्तराह्न-बाटनी, जुलाजी, कमेस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स-60-60सीट प्रत्येक में।

नोट –

- कालेज कोड 28 के अन्तर्गत शेष शिक्षकों की नियुक्ति करे।
- प्रयोगशालाओं एवं पुस्तकालय को NEP 2020 की पाठ्यक्रम आवश्यकताओं को दृष्टिगत अद्यतन करें।
- अध्ययन कक्षों एवं खेल के मैदान को बेहतर व्यवस्थित करें।

उपर्युक्त शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 03 माह के अन्दर आवश्यक रूप से पूर्ण कर 100=00 रुपये के स्टाम्प पर शपथपत्र दिया जाय कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य है, अधोहस्ताक्षरकर्ता को भेजने का कष्ट करें अन्यथा आगामी सत्र 2025-2026 से छात्रों का प्रवेश बन्द करते हुए महाविद्यालय की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की सूचना शासन को भेजी जावेगी।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ –

- परीक्षा नियंत्रक, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- सहायक कुलसचिव-परीक्षा, गोपनीय।
- विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
- प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
- कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)